



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22062023-246756
CG-DL-E-22062023-246756

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 152]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 22, 2023/आषाढ 1, 1945

No. 152]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 22, 2023/ASHADHA 1, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2023

सं. 17 / 2023

विषय: संशोधित भारत नेपाल व्यापार संधि के तहत तांबे के उत्पाद और जिंक ऑक्साइड के आयात की प्रक्रिया में संशोधन।

फा. सं. 01/89/180/विधि-37/एएम-07/पीसी-2(ए)/भाग-V/ई-25648.—विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार (डीजीएफटी) एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी), 2023 के पैरा 2.92 की शर्तों में भारत नेपाल संधि के तहत प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के अंतर्गत मदों के आयात हेतु, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 9/2003—सीमाशुल्क दिनांक 15 जनवरी, 2003 के साथ जारी समय-समय पर यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं. 9/2002—2007 दिनांक 30 अप्रैल, 2002 के क्रम में प्रक्रिया में निम्नानुसार संशोधन करते हैं:

- i. डीजीएफटी (मुख्यालय) संशोधित भारत-नेपाल संधि के तहत सभी टीआरक्यू मदों के आवंटन और निगरानी हेतु नामित प्राधिकारी होगा;

- ii. तदनुसार, डीजीएफटी नेपाल से अध्याय 74 के तहत तांबा के उत्पाद के टीआरक्यू के 10,000 मी.ट. और आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची 1 (आयात नीति) के एचएस कोड 8544 और जिंक ऑक्साइड के 2500 मी.टन के आवंटन और निगरानी हेतु प्राधिकृत है।
- iii. प्रत्येक विनिर्माता/निर्यातक को तिमाही आधार पर इस प्रकार आवंटित कोटे की सूचना नेपाल (वाणिज्य विभाग) के नामित प्राधिकारी द्वारा डीजीएफटी, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार को policy2-dgft@gov.in ई-मेल पर दी जाएगी।
- iv. आयात की अनुमति भूमि सीमाशुल्क स्टेशनों (एलसीएस) के माध्यम से: ककरभिट्टा/नक्सलबाड़ी, बिराटनगरी जोगबनी, बीरगंज/रक्सौल, नेपालगंज/नेपालगंज रोड़ और महेन्द्र नगर/ बनबसा पर होगी;
- v. भारतीय आयातक टीआरक्यू प्रमाण-पत्र हेतु डीजीएफटी की वेबसाइट (www.dgft.gov.in) होम पेज -> सेवाएं -> आयात प्रबंधन प्रणाली-प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू)/टीआरक्यू हेतु आवेदन पर नेविगेट करते हुए ऑनलाइन आवेदन करेगा।
- vi. आयातक अनिवार्य रूप से नेपाल में सक्षम प्राधिकारी द्वारा नेपाली निर्यातक को जारी टीआरक्यू का संदर्भ अपलोड/प्रदान करेगा;
- vii. जारी किए गए टीआरक्यू में आयातक का नाम और पता, आयातक-निर्यातक कोड (आईईसी), सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या, यथा लागू टैरिफ मद, टीआरक्यू की मात्रा और वैधता अवधि शामिल होगी;
- viii. टीआरक्यू प्राधिकार पत्र डीजीएफटी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाएगा और भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस) को प्रेषित किया जाएगा;
- ix. टीआरक्यू के तहत आयात की अनुमति केवल आईसीईएस प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेबिट करने या डेबिट के रूप में पृष्ठांकित होने पर दी जाएगी;
- x. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, डीजीएफटी वेबसाइट पर टीआरक्यू प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की कोई अंतिम तिथि नहीं होगी। डीजीएफटी, जारी किए गए टीआरक्यू प्रमाणपत्रों के लिए संचयी मात्रा की निगरानी करेगा। एक बार उल्लिखित टीआरक्यू मात्रा की सीमा पूरी हो जाने के बाद कोई और टीआरक्यू प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा।
- xi. इन आयातों के संबंध में वर्ष, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि, अर्थात् भारतीय वित्तीय वर्ष होगी;
- xii. टीआरक्यू प्रमाणपत्र अधिकतम 12 महीने की अवधि या वित्तीय वर्ष की समाप्ति, जो भी पहले हो, के लिए वैध होगा;
- xiii. इसके अलावा, डीजीएफटी के पास किसी भी समय, जैसा उचित समझा जाए, तौर-तरीकों/आवंटन प्रक्रिया में कोई भी बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित है;
- xiv. अन्य तौर-तरीके वही रहेंगे जो पहले समय-समय पर अधिसूचित किए गए थे; और
- xv. संशोधित भारत-नेपाल संधि के अन्तर्गत टीआरक्यू के तहत मदों के आयात के लिए आवेदन की प्रक्रिया जैसा कि ऊपर बताया गया है, परिशिष्ट 2क के अनुलग्नक VI के तहत शामिल किया गया है।

इस सार्वजनिक सूचना का पभाव:

अब से, डीजीएफटी (मुख्यालय) संशोधित भारत-नेपाल संधि के तहत सभी टीआरक्यू मदों के आवंटन और निगरानी के लिए नामित प्राधिकारी होगा। तदनुसार, प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के पैरा 2.92 के तहत टीआरक्यू के अन्तर्गत तांबे के उत्पादों और जिंक ऑक्साइड के आवंटन और निगरानी के लिए संशोधित प्रक्रिया अधिसूचित की गई है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)

Directorate General of Foreign Trade

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 22nd June, 2023

No. 17/2023

Subject: Amendment in procedure for import of Copper products and Zinc Oxide under the Revised India Nepal Treaty of Trade.

F. No. 01/89/180/Misc-37/AM-07/PC-2[A]/Part-V/E-25648.— In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy 2023, the Directorate General of Foreign Trade (DGFT), hereby amends the procedure in continuation to Public Notice No. 9 /2002-2007 dated 30th April, 2002 as amended time to time in sync with Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. 9/2003-Customs dated 15th January, 2003, for import of items under Tariff Rate Quota (TRQ) under India Nepal Treaty in terms of Para 2.92 of the Handbook of Procedures (HBP), 2023, as under:

- i. DGFT(Hqrs) shall be the designated authority for allocation and monitoring of all TRQ items under Revised India-Nepal Treaty;
- ii. Accordingly, the DGFT is authorised for allocation and monitoring of 10,000 MT of TRQ of Copper products under Chapter 74 and HS code 8544 of ITC(HS) 2022, Schedule 1 (Import Policy) and 2500 MT of Zinc Oxide from Nepal;
- iii. The quota so allocated to each manufacturer/ exporter on a quarterly basis would be communicated by the designated authority of Nepal (Department of Commerce) to DGFT, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Government of India over email at policy2-dgft@gov.in;
- iv. Imports will be permitted through the Land Customs Stations (LCS) at: Kakarbhatta/Naxalbari, Biratnagar/Jogbani, Birganj/Raxaul, Nepalgunj/Nepalgunj Road and Mahendranagar/Banbasa;
- v. The Indian importer shall file online application for TRQ certificate on the DGFT Website (www.dgft.gov.in) by navigating to *Home page* → *Services* → *Import Management System* → *Tariff Rate Quota (TRQ)* → *Apply for TRQ*;
- vi. The importer shall mandatorily upload/provide reference to the TRQ issued to the Nepalese Exporter by the competent authority in Nepal;
- vii. The TRQ issued shall contain the name and address of the importer, Importer -Exporter Code (IEC), Customs notification number, tariff item as applicable, quantity and validity period of the TRQ;
- viii. The TRQ authorisation shall be issued electronically by the DGFT and transmitted to Indian Customs EDI System (ICES);
- ix. Imports against the TRQ shall be allowed only upon debiting electronically in the ICES system or on debit as endorsed;
- x. For the Financial Year 2023-24, there shall be no end date for applying for the TRQ Certificate online on DGFT website. The DGFT shall monitor the cumulative quantities for TRQ Certificates issued. No further TRQ Certificates shall be issued once the stated TRQ quantity limit is reached;
- xi. The year in respect of these imports will be the period from 1st April to 31st March, i.e., financial year in India;
- xii. TRQ Certificate shall be valid for a maximum period of 12 months or the end of the financial year, whichever is earlier;
- xiii. Further, the DGFT reserves the right to make any changes in the modalities/allocation process at any point of time, as deemed fit;

- xiv. Other modalities shall remain the same as notified earlier time to time; and
- xv. Procedure for application for import of items under TRQ under Revised India-Nepal Treaty as enumerated above is inserted under Annexure VI of Appendix 2A.

Effect of this Public Notice:

Henceforth, DGFT(Hqrs) shall be the designated authority for allocation and monitoring of all TRQ items under Revised India-Nepal Treaty. Accordingly, revised procedure for allocation and monitoring of Copper products and Zinc Oxide under TRQ under Para 2.92 of the HBP, 2023 is notified.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex- officio Addl. Secy.